न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 07 / 2025
निर्णय दिनांकः— 19.05.2025
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. सोहनलाल पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गणेश पुत्र केसरलाल जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।
3. किशनलाल पुत्र बजरंग जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।
4. रामवतार पुत्र नोरत जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।
5. विनोद पुत्र नोरत जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।
6. भंवरलाल पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासी मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत कांसेल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत समिति फागी जिला जयपुर।
2. भगवानसहाय पुत्र मन्ना
3. हनुमान पुत्र मन्ना
   जातियान बागडा ब्राहाम्ण निवासीयान कुन्जबिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा बगरू जिला जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक फागी जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री सीताराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडन्टस सं0 2

प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत कांसेल नामान्तकरण सं0 15 दिनांक 22.05.1960 मय दफा 5 मियाद अधिनियम

निर्णय दिनांकः— 19.05.2025

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 95 के आराजी खसरा नम्बर 370 रकवा 4.6281 हैक्टेयर वाके ग्राम कुंजबिहारीपुरा तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला- (जयपुर)

अपीलान्ट्स का हिस्सा 1/3 है एवं मौके पर उक्त हिस्से अनुसार अपीलान्ट्स काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त आराजी स्व० गोपी पुत्र श्योकरण की खातेदारी आराजी थी। उपरोक्त अपीलान्ट्स गोपी के वारिसान् है जिनका हिस्सा उपरोक्त हिस्से में से प्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का हिस्सा 1/24 एवं प्रार्थी संख्या 03 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 04 लगायत 05 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 06 का 1/24 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट्स गत 50 से 60 वर्षो से काबिज रहते हुये काश्त करते आ रहे है अपीलान्ट्स व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में अपीलान्ट्स द्वारा फसल काश्त की जा रही है। उक्त विवादित आराजीयात एवं खसरा नम्बर 370 रकबा 4.6281 हैक्टेयर वाके ग्राम कुंजबिहारीपुरा, तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जिसमें दर्ज हिस्सा हनुमान पुत्र मन्ना, भगवानसहाय पुत्र मन्ना के मे से अपीलान्ट्स का 1/3 हिस्सा है। उक्त हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। विवादित आराजीयात का पर्चा चकबन्दी सम्वत् 2011 से 2030 अपीलान्ट्स के पूर्वज के नाम 1/3 हिस्से का पर्चा जारी हुआ था पर्चा जारी होने के बाद अपीलान्ट्स के पूर्वज मौके पर काबिज रहते हुये काश्त करते आ रहे थे उसके बाद अपीलान्ट्स मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 एवं उसके पूर्वज कभी भी वाके ग्राम कुंजबिहारीपुरा के खसरा नम्बर 370 रकवा 4.6281 हैक्टेयर तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजी में काबिज काश्त नहीं रहें, लेकिन जमीनों के भावे बढ़ जाने के कारण व विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के पिता मन्ना पुत्र नन्दराम ने ग्राम पंचायत कांसेल के सरपंच व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपीलान्ट्स के पिता के नाम दर्ज आराजी का नामान्तकरण संख्या 15 के द्वारा दिनांक 22/05/1960 को अपने नाम दर्ज करवा लिया था जबकि अपीलान्ट्स अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के पिता मन्ना पुत्र नन्दराम बागडा ब्राह्मण जनरल जाति के व्यक्ति के नाम धारा

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

42 राज०टी०एन०एक्ट0 के प्रावधानों के विपरित जाकर अपने नाम ग्राम पंचयात में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया था जो प्रथम दृष्टया ही शून्य होने के कारण उक्त नामान्तकरण के आधार पर उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण उक्त नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपीलान्ट्स के खातेदारी अधिकारों में कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है आज भी अपीलान्ट्स कानूनन अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के पिता के हक में खोला गया नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 22/05/1960 से रूष्ट होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। :–

सरपंच ग्राम पंचायत कांसेल का आदेश नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 22/05/1960 उक्त आराजीयात के बिना कब्जे की जांच किये बिना एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना राज०टी०एक्ट की धारां 42 के प्रावधानों के विपरित जाकर खोला गया नामान्तकरण है प्राम्भ से ही शून्य होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 22/05/1960 बिना कानूनी प्रकिया अपनाते हुये खोला गया है जो अवैध रूप से बिना अपीलान्ट्स को सुचना दिये खोला गया नामान्तकरण जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही शून्य है क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी भूमि जनरल जाति के व्यक्ति के नाम विधि विरूद्ध होने से नहीं खोली जा सकती है इस कारण भी ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तकरण की कार्यवाही शून्य होने से काबिले निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत कांसेल के सरपंच द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के पिता के एक प्रार्थना पत्र देखकर यह कहा गया की उक्त आराजी का पर्चा गलत रूप से अपीलान्ट्स के पिता के आ गया है इसको मेरे नाम लगवाया जावें इस शून्य प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ग्राम पंचायत कांसेल के सरपंच ने उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

खोल दिया गया है इस कारण प्रथम दृष्टया शून्य है। जो काबिले निरस्तनीय है। उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 22/05/1960 की अपीलान्ट्स को कभी जानकारी नहीं हुई अपीलान्ट्स ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्ति है व अपने हक की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है अभी हाल ही दिनांक 30/02/2025 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के द्वारा अपीलान्ट्स को उनके कब्जे से बेदखल करने एवं अन्य दिगर व्यक्तियों को बैचान करने की ऐलानियां धमकी दी तब उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई इसके पश्चात् अपीलान्ट्स ने अपने राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी व नामान्तकरण की नकल निकलाने पर ज्ञात हुआ की रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 03 के पिता उक्त आराजी को नामान्तकरण द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली इसके पश्चात् अपीलान्ट्स ने अपने कागजात लेकर अपने अधिवक्ता से सर्म्पक किया जिस पर दिनांक 30/04/2025 को अपीलान्ट्स ने अपने अधिवक्ता से सर्म्पक करके यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जानकारी के अभाव में उक्त देरी हुई जिसके लिए अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडन्टस सं0 1, 3, 4, 5, 6 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। रेस्पोडेन्टस सं0 1, 3, 4, 5, 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

रेस्पोडन्ट्स सं0 2 की और से अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा प्रारम्भिक आपत्ति व जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 ने अपने प्रारम्भिक आपत्ति व जबाब मे बताया की अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के पिता/दादा कजोड, घासी पिसरान रामदेव, व केसरलाल, सोहनलाल पिसरान गोपी बैरवा द्वारा उक्त अपील से पूर्व एक वाद संख्या 231/2008 उनवानी कजोड वगै0 बनाम शंकर वगै0 के नाम से वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त अपील में वर्णित आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी थी, क्योकि उक्त आराजीयात प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पिता मन्ना के नाम

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

उक्त अपील में प्रश्नगत नामान्तकरण के द्वारा ही प्राप्त हुयी थी। इस प्रकार अपीलाण्ट को घोषणा का वाद प्रस्तुत करने के समय से अपीलाण्ट को प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी थी, लेकिन दिनांक 18.06.2007 को प्रस्तुत वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 06.03.2025 को मैरिट पर खारिज फरमा दिया गया था। पूर्व वाद के खारिज होने के पश्चात पूर्व वाद में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा ही मान्य न्यायालय से तथ्य छिपाते हुये यह दुसरी अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपीलाण्ट को प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी वर्ष 2007 में होने के बावजूद भी उक्त अपील में अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं03 में उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 30.01.2025 को होना बताया जाकर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना बताया गया है, इस प्रकार उक्त अपील में अपीलाण्ट ने मियाद का जो कारण वर्णित किया है वह पूर्णतया मिथ्या व बेबुनियाद है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील में प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 30.01.2025 को होने के पश्चात दिनांक 18.03.2025 को उक्त अपील प्रस्तुत की है जो वह भी मियाद के बाहर है क्योकि मियाद की अवधि जानकारी से 30 दिवस है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय फागी में विचाराधीन वाद उनवानी कजोड बनाम शंकर वगै0, मु०न० 231/2008 में पक्षकार कायम थे, तथा वाद के विचाराधीन होने के दौराने अपीलाण्ट ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 12.09.2024 को प्रतिवादीगण से प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी सं03 के 1/2 हिस्से की कोई घोषणा नही चाहने बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील में वर्णित तथ्यों की तथा उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 30.01.2025 से पूर्व नही थी, यह तथ्य पूर्णतया मिथ्या व बेबुनियाद है। इसलिये उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला- (जयपुर)

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने जबाब उल जबाब पेश किया तथा अपने जबाब उल जबाब मे बताया की उनवानी वाद कजोड बनाम शंकर लाल वगै0 दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में पेश किया था अंकित तथ्य सहीं है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं उक्त प्रकरण विचाराधीन न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा०दी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद पत्र खारिज किया था जबकि पूर्व में विचाराधीन न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था एवं प्रार्थी हनुमान एवं भगवान सहाय ने उक्त आदेश की रीविजन राजस्व न्यायालय अजमेर में पेश की थी जिसको भी राजस्व न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था उक्त अभी हाल ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा०दी० में अंकित तथ्यों का विचाराधीन न्यायालय एवं राजस्व की सुप्रीम न्यायालय मण्डल अजमेर द्वारा भी पूर्व में निणर्य पारित करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का संज्ञान नहीं लिये जाने के कारण विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर गलत निर्णय पारित किया है जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अधिकारी जयपुर के प्रार्थीगण के द्वारा पेश कर दी गई है इस कारण उक्त दावा खारिज होने के आधार पर अपील नामान्तकरण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता हैं क्योंकि ग्राम पंचायत कांसेल के सरपंच द्वारा विना किसी क्षेत्राधिकार के अपीलान्ट की खातेदारी भूमि फर्जी जेरकार तरिके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना गलत तरिके से नामान्तकरण खोल कर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया हैं जिसका उसकों कोई कानूनी क्षैत्राधिकार प्राप्त नही था एवं उक्त नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 एवं उनके पिता को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त फर्जी जेरकार नामान्तकरण के आधार पर गैरकानूनी तरिके से खातेदारी भूमि पर काबिज होने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है न ही प्रार्थीगण ने उक्त आराजी भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को नहीं विक्रय पत्र से बैचान किया, न ही अन्य किसी प्रकार से अपीलान्ट ने स्तानान्तकरण कर कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया हैं इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 बिना किसी कानूनी अधिकार के

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन करवाकर जमाबन्दी में अपना तथाकथित झुठां नाम दर्ज करवा रखा है उस झुठें राजस्व रिकार्ड में अंकन जमाबन्दी में दर्ज नाम के आधार पर उनको कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं क्योंकि सरपंच द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी व राजस्व न्यायालय के आदेश के बिना गलत तरिके से नामान्तकरण खोल दिया इसके आधार पर उनकों कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। इसलिये उक्त प्रारम्भ से शून्य नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को प्राप्त नहीं हुये है इस कारण भी उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 22/05/1960 प्रथमदृष्टया खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 02 में जिस प्रकार तथ्य अंकित किये है गलत होने से अस्वीकार है बिना किसी क्षैत्राधिकार के आधार पर खोले गये शुन्य नामान्तकरण की अपील जब भी अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण के आधार पर मौके से बेदखल करने की धमकी देने की दिनांक से ही अपील प्रस्तुत करने का समयावधी लागु होती है इस कारण प्रार्थीगण ने अपील नामान्तकरण जानकारी दिनांक से समय सीमा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश की है जिसको सुनने व निस्तारण करने का न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुयें बताया की रेस्पोडेन्टस सं0 2 व 3 ने बिना किसी आधार के अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया है। सम्वत 2011 से 2030 से पूर्व अपीलान्टस के पिता के नाम खतौनी बन्दोबस्त विभाग ने खातेदारी दर्ज की थी। रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 के पिता मन्नालाल ने ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र पेश किया की पर्चा अपीलान्टस के नाम गलत आया है नामान्तकरण मेरे नाम खोला जाना चाहिये। ग्राम पंचायत ने इसी आधार पर रेस्पोडेन्टस के पिता मन्नालाल के नाम नामान्तकरण खोल दिया। अगर उक्त पर्चा गलत आया था तो रेस्पोडेन्टस को सैटलमेन्ट विभाग मे चाराजोही करनी चाहिये थी। इसलिये अपीलान्टस का

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला- (जयपुर)

प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर नामान्तकरण खाजिर किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:—

2017 (2) DNJ (Raj) 811

रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की नामान्तकरण दिनांक 22.05.1960 की अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस द्वारा लगभग 65 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की है। मियाद पर विचारण का मुख्य बिन्दु है। नामान्तकरण प्रारम्भ से शुन्य नही है क्योकि धारा 42 वर्ष 1960 मे प्रावधान में नही थी। पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर फागी मे पूर्व मे एक ब्रउनवानी प्रकरण कजोड बनाम शंकर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन था। जिसमे अपीलान्ट को कायम मुकाम पक्षकार कायम किया गया था। जिससे अपीलाण्ट ने न्यायालय के समक्ष होकर उपस्थित होकर दिनांक 12.09.2024 को प्रतिवादीगण से प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी सं0 3 के 1/2 हिस्से की कोई घोषणा नही चाहने बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। जिससे बखुबी साबित है कि अपीलाण्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी पूर्व से ही रही है। इसलिये उक्त अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्टस सं0 2 के अधिवक्ताइ ने अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:—

आर0आर0डी0 1994 पेज 98 से 100

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील नामान्तकरण सं0 15 दिनांक 22.05.1960 के विरूद्व पेश किया गया है। अपीलार्थी ने अपने अपील व दफा 5 प्रार्थना पत्र मे दिनांक 30.01.2025 को जानकारी होना बताया है तथा दिनांक 18.03.2025 को उक्त नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी मे पूर्व मे विचाराधीन वाद कजोड बनाम शंकर वगै0 मे

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला— (जयपुर)

दिनांक 12.09.2024 को अपीलान्टस द्वारा स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर 1/2 हिस्से का वाद आगे नही चलाने का अनुरोध किया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी पूर्व बखुबी रही है। इसके अतिरिक्त भी वर्ष 1960 में दर्ज नामान्तकरण की अपील भी आज इतने 65 वर्ष बाद पेश करना एवं एक प्रतिवादी के विरूद्व भी राजीनामा पेश. करना भी प्रार्थी के विरूद्व साबित होता है। अपीलार्थी अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम को साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है। इसलिये अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत् अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुना गया।

19/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)